उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

सोमवार, 05 फाल्गुन, शक संवत् 1946

(24 फरवरी, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क' व 'ख')।

2-उप मुख्य मंत्री, माननीय लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06/2018, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को स्पष्टीकरण ज्ञापन एवं विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) की उपधारा (5) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

3-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 के उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड का पच्चीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) की उपधारा (b) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

4-ऊर्जा मंत्री, प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली विभाग के प्रस्तावित निजीकरण के कारण कर्मचारी संगठनों और आम-जनमानस में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त होने के सम्बन्ध में सर्वश्री किरण पाल कश्यप, लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा डा0 मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, शाह आलम व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

5-मुख्य मंत्री, जनपद-मेरठ के विकास खण्ड-सरूरपुर खुर्द के ग्राम पंचायत ईकड़ी में सरधना मार्ग पर स्थित चौराहे के ग्राम कबकेपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज व श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

6-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के ओयल ढखवा कस्बे के निकट सीतापुर-लखीमपुर स्टेट हाई-वे से ग्राम पंचायत-पन्यौरा होते हुये लीलाकुआँ तक सड़क का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त माहेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

7-मुख्य मंत्री, जनपद-हरदोई के अन्तर्गत भजेहटा से जलियापुर होते हुये नेवादा तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल व श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ के अधिकारियों को वर्ष 2017-2018 से अब तक बोनस का भुगतान, सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू कराने, पदोन्नति तथा ए0सी0पी0 का लाभ तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति तथा ग्रेच्युटी की धनराशि का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-मुख्य मंत्री, जनपद-आजमगढ़ से शुरू होकर निजामाबाद-फूलपुर-बेलवाई तक जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-ऊर्जा मंत्री, जनपद-चन्दौली में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय मुगलसराय एच0टी0 हाईटेंशन तार की दिशा परिवर्तन करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री मो0 जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक

16 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-ऊर्जा मंत्री, जनपद-चन्दौली के मुगलसराय, महाबलपुर, दलहीपुर में स्थानीय निवासियों के घर के ऊपर से एच0टी0 हाईटेंशन तार की दिशा परिवर्तन करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 जासमीर अंसारी व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-नगर विकास मंत्री, कानपुर नगर निगम में नामान्तरण शुल्क के नाम पर की जा रही वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह व श्री अरुण पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-ऊर्जा मंत्री, जनपद-मैनपुरी के श्री दिनेश पुत्र श्री फतेह सिंह, निवासी डालूपुर, पोस्ट-बरनाहल आर0 एम0 एस0 आई0 डी0 VEMP1070224002 चेकिंग रिपोर्ट संख्या-04/5448, दिनांक 06 फरवरी, 2024 की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-नगर विकास मंत्री, जनपद-वाराणसी में छितूपुर के सामने घाट वार्ड नं0-57 के मारूती नगर कालोनी में केशरी जनरल स्टोर से श्रीमती इन्दू देवी के मकान तक 200 मी0 लम्बी व 16 फिट चौड़ी सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के मुख्यालय में स्थित मार्ग ईमली चौराहे, अन्त्येष्टि स्थल (रामघाट) होते हुये महेतागंज तक 06 किमी0 सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त माहेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

16–ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग में दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व के विज्ञापित पदों पर चयनित कार्मिकों हेतु उत्तर प्रदेश शाासन के शासनादेश–14/2024/सा–3–243/दस–2024/30/(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऊर्जा निगमों में कार्यरत कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम–110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17–ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम की क्षति से बचाये जाने हेतु निदेशक (तकनीकी) पद हेतु वर्तमान समय में निकाले विज्ञापन को निरस्त कराते हुये पूर्व में निर्धारित अर्हता को यथावत बनाये रखने तथा पुनः संशोधित विज्ञापन प्रकाशित करके प्रभावी आदेश करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर व डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम–110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18–नगर विकास मंत्री, नगर निगम लखनऊ में कार्यरत मुख्य वित्त एवं कृत्यों की शिकायत के आधार पर हो रहे प्रभावित कार्यों को करवाये जाने तथा तत्काल रूप से हटवाये जाने के सम्बन्ध में इं0 अवनीश कुमार सिंह व राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम–110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19–ऊर्जा मंत्री, टिकैतराय पावर हाउस लखनऊ से टैम्पो स्टैण्ड होते हुए काकोरी मोड़ की ओर सेक्टर 10 के मध्य से गुजरने वाली 33000/132 के0वी0ए0 हाईटेंशन को आवासों/बस्ती से बाहर तथा वन्चर वायर में परिवर्तित कराये जाने अथवा दो पोलों को डबल रोड के मध्य स्थित ग्रीन बेल्ट की भूमि में स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल व श्री मोहित बेनीवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम–110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20–नगर विकास मंत्री, जनपद बाराबंकी में नगर विकास विभाग द्वारा ए0सी0 बसों का संचालन गंगागंज से बढ़ाकर भिलवल चौराहे तक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश शर्मा व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम–110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-नगर विकास मंत्री, जनपद-वाराणसी सं0 21 लल्लापुरकता आदि बोध गलियों में इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किरण पाल कश्यप व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-नगर विकास मंत्री, जनपद-हरदोई के नगर पालिका बिलग्राम में अधिशासी अधिकारी के कृत्यों पर कार्यवाही तथा स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-मुख्य मंत्री, जनपद अमेठी की तहसील गौरीगंज विकास खण्ड-गौरीगंज के मुसाफिरखाना पिचमार्ग से आनापुर नेता रोड तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-नगर विकास मंत्री, नगर निगम मुरादाबाद के अन्तर्गत आने वाले पटरी दुकानदार को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न करे जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र प्रधान व श्री लालजी प्रसाद निर्मल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-मुख्य मंत्री, जनपद-अमेठी के विकास खण्ड भेटुआ के अन्तर्गत ग्राम सभा मई से घटकौर मुख्य सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-नगर विकास मंत्री, जनपद-अमरोहा में तिगरी धाम के लोगों हेतु इलेक्ट्रॉनिक अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी बैंक लि0 में व्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर अभी कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ के उत्तरधौना घुरपुरवा मार्ग से कंचन सिटी कालोनी में श्री पवन पाण्डेय के प्लाट से होते हुए श्रीमती अनामिका तिवारी के मकान तक लगभग 100 मी0 मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

29-मुख्य मंत्री, जनपद-महोबा मुख्यालय से हमीरपुर जिला मुख्यालय से जुड़ने वाला मार्ग (महोबा, बजरिया, चरखारी से मुस्करा मार्ग) को स्टेट हाईवे घोषित किए जाने के साथ ही बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से 113 वें किमी0 यू0पी0डा0 द्वारा मुस्करा-खरेला के मध्य कट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

30-मुख्य मंत्री, जनपद अमरोहा में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा डिडौली से केलसा होकर सौंडला तक 20 किमी0 मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 हरी सिंह ढिल्लों, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

31-मुख्य मंत्री, जनपद बिजनौर के रतनगढ़-लोधीपुर-मिलक गोहावार चौक तेलीपुरा (अन्य जिला मार्ग) का 5.50 मी0 चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 जयपाल सिंह ''व्यस्त'', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

32-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के पकड़ी बरॉंव से मोहटा तक के मार्ग का चौड़ीकरण/सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद्

द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम–111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

33–नगर विकास मंत्री, जनपद कानपुर में गंगा की शुद्धता एवं निर्मलता हेतु रानीघाट से जाजमऊ गंगाजल के नमूने लिये जाने तथा कानपुर की सभी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्टों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम–111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

34–मुख्य मंत्री, जनपद जालौन के वि0ख0 महेवा की ग्राम पंचायत अटरकला में दुर्गा माता मन्दिर से अम्बेडकर मोहल्ला तक एक किमी0 पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम–111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

35–नगर विकास मंत्री, जनपद–लखनऊ के अन्तर्गत एमिटी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के गेट नं0–2 के सामने माधव ग्रीन सिटी में राधा माधव मन्दिर से 2–डी लेन होते हुए पिपरहवा बाबा के सामने से सतरिख सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम–111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

36–श्री अनूप गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–215 के अन्तर्गत जनपद–बाराबंकी के ग्राम पंचायत शुक्लपुर, विकास खण्ड–हैदरगढ़ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

37–श्री अनूप गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–215 के अन्तर्गत जनपद–बाराबंकी के ग्राम टिकराहुवां, विकास खण्ड–हैदरगढ़ के निवासियों की ओर से पक्की सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

38-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-चठिया फैजू, विकास खण्ड-भुता, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

39-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पचुआ (जमुनिया), विकास खण्ड-दमखोदा, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

40-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-लालपुर मजरा पैगरवा, विकास खण्ड-बिसवां, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

41-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार जारी (अन्तिम दिवस) :-

> ''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 फरवरी, 2025 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'ज')

लखनऊ : आज्ञा से,

सोमवार, 05 फाल्गुन, शक संवत् 1946
(24 फरवरी, 2025)

डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
****1**	**12-2-2025**
****2**	**12-2-2025**
****3**	**14-2-2025**
****4**	**14-2-2025**
****5**	**15-2-2025**

नत्थी 'क'

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, सन् 2025 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश के ऊर्जा विभाग का निजीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 1 — ऊर्जा मंत्री

**1-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग को निजीकरण किये जाने की तैयारी की जा रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना भी है और क्या इसमें आरक्षण की व्यवस्था भी होगी ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उपनिबन्धक कार्यालय रसड़ा को तहसील रसड़ा में आवंटित उपनिबन्धक कार्यालय के भवन में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री

**2-(क) क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बतायेंगे कि उपनिबन्धक कार्यालय रसड़ा जो मुंसिफ न्यायालय की भूमि है को तहसील रसड़ा में आवंटित उपनिबन्धक कार्यालय के भवन में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में तहसील बार एसोसिएशन, रसड़ा, बलिया के वकीलों द्वारा लगातार दो महीने से धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो वकीलों के द्वारा लगातार दो महीने से किये जा रहे धरने के सम्बन्ध में शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ग) क्या उक्त अधिवक्ताओं द्वारा अपने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से की जा रही माँग न्यायोचित है ?

(घ) यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

जनपद-लखनऊ की आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम से 1090 चौराहे तक गन्दे नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री अशोक अग्रवाल 3 — मुख्य मंत्री

**3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ की आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम से 1090 चौराहे तक गन्दे नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाये जाने का प्राविधान है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग कहाँ से कहाँ तक बनाये जाने हेतु विचाराधीन है ?

(ग) क्या उक्त मार्ग के निर्माण हेतु आगणन बनाकर धनावंटन की कार्यवाही की जा रही है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ?

प्रदेश में वृक्षारोपण की संख्या व उसकी सफलता के लिये समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 4 — पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**4-(क) क्या वन मंत्री बतायेंगे कि माह जुलाई व अगस्त, 2024 में प्रदेश में कितनी संख्या में वृक्षारोपण किये गये हैं ?

(ख) उपरोक्त वृक्षारोपण के उपरान्त वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है ?

(ग) वर्तमान में प्रदेश में वृक्षारोपित क्षेत्रों की सफलता का प्रतिशत क्या है ?

(घ) पौधारोपण की जाँच एवं सफलता के लिए क्या कोई समिति बनी है अथवा कोई सेटेलाइट की व्यवस्था है ?

(ङ) प्रदेश में कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र है, कितना खाली है, जिस पर वर्ष 2025 में वृक्षारोपण किया जायेगा ?

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निमग में सिविल/ विद्युत अभियन्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 5	**5-(क) क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम में कितने सिविल/विद्युत अभियन्ताओं के पद किस-किस स्तर के स्वीकृत हैं ? (ख) वर्तमान में निगम में कितने अभियन्ता किस-किस स्तर के कार्यरत हैं, कितने पद किस अवधि से रिक्त हैं ? (ग) उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु निगम द्वारा कब-कब अधियाचन भेजा गया अथवा विज्ञापन निकाला गया है ? (घ) यदि नहीं, तो रिक्त पदों के सापेक्ष कब तक चयन की कार्यवाही पूर्ण करायेंगे ?	सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

----

24 फरवरी, 2025 **विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2025) के प्रथम सोमवार**

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	10-2-2025
*2	10-2-2025
*3	10-2-2025
*4	10-2-2025
*5	10-2-2025
*6	10-2-2025
*7	11-2-2025
*8	11-2-2025
*9	12-2-2025
*10	12-2-2025
*11	12-2-2025
*12	12-2-2025
*13	12-2-2025
*14	14-2-2025
*15	14-2-2025
*16	14-2-2025
*17	14-2-2025
*18	15-2-2025

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	10-2-2025
2	10-2-2025
3	10-2-2025
4	10-2-2025
5	10-2-2025
6	10-2-2025
7	10-2-2025
8	10-2-2025
9	11-2-2025
10	11-2-2025
11	11-2-2025
12	11-2-2025
13	11-2-2025
14	11-2-2025
15	11-2-2025
16	11-2-2025
17	12-2-2025
18	12-2-2025
19	13-2-2025
20	13-2-2025
21	13-2-2025
22	13-2-2025
23	14-2-2025
24	14-2-2025
25	14-2-2025
26	14-2-2025
27	14-2-2025
28	14-2-2025
29	14-2-2025
30	14-2-2025
31	14-2-2025
32	14-2-2025
33	14-2-2025
34	14-2-2025
35	14-2-2025
36	15-2-2025
37	15-2-2025

नत्थी 'ख'

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

नई पेंशन स्कीम में जारी शासनादेश एवं पुरानी पेंशन बहाली के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

वित्त मंत्री

*1-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम में जारी शासनादेश में कोई परिवर्तन हेतु दिनांक 15 दिसम्बर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 के मध्य कोई शासनादेश/कार्यालयादेश जारी किया गया है ?

(ख) क्या वर्तमान में पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु कोई कार्य योजना भी है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

पुरानी पेंशन बहाली के सम्बन्ध में कर्मचारी संगठनों द्वारा प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — वित्त मंत्री

*2-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कर्मचारी संगठनों के कितने पत्र प्राप्त हुये हैं ?

(ख) क्या पुरानी पेंशन बहाल किये जाने की वर्तमान में कोई कार्य योजना है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

कानपुर नगर द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों को देय चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान के देय लाभ के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 3 — नगर विकास मंत्री

*3-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि कानपुर नगर द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे कितने प्रवक्ता, सहायक अध्यापक हैं, जिन्हें दिनांक 31-12-2024 तक चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देय था, किन्तु स्वीकृत नहीं किया गया है ?

(ख) उक्त शिक्षकों का विवरण क्या है तथा इन्हें चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान का लाभ कब तक स्वीकृत करायेंगे ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 4

*4-[माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर अत्यधिक लम्बा होने के कारण निरस्त]

नगर पालिका परिषद, उन्नाव के अन्तर्गत अमृत योजना में खोदी गयी सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 5 — नगर विकास मंत्री

*5-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद उन्नाव के अन्तर्गत पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अमृत योजना का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया है ?

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत खोदी गयी सड़कों की मरम्मत दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक करा दी गयी है ?

(ग) यदि हाँ, तो मोहल्ला कल्याणी देवी में संतोष कुमार बाथम के घर से लोधनहार पुलिया तक अमृत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति कब तक प्रारम्भ करायेंगे ?

न्यू दुर्गापुरी कालोनी वादरखेड़ा, जनता विहार, बुद्धेश्वर, मोहान रोड, लखनऊ में नाली एवं नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 6 — नगर विकास मंत्री

*6-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि न्यू दुर्गापुरी कालोनी वादरखेड़ा, जनता विहार (सलेमपुर पतौरा), बुद्धेश्वर, मोहान रोड, लखनऊ में उक्त कालोनी से साहू तक नाली व नाला बनाये जाने हेतु शशांक त्रिपाठी, विशेष सचिव, मुख्य मंत्री उ0प्र0 को दिनांक 10-06-2024 का अनुस्मारक पत्र जो कि नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और मुख्य मंत्री द्वारा क्या कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं, और कब दिये गये हैं ?

(ग) उपरोक्तानुसार मुख्य मंत्री द्वारा कब आदेश दिया गया है और मुख्य मंत्री के आदेशों के क्रम में क्या और कब कार्यवाही की गयी हैं ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

चित्रकूट मण्डल, बाँदा में जल संस्थान द्वारा वर्ष 2014 से 2018 के मध्य कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 7 — नगर विकास मंत्री

*7-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जल संस्थान चित्रकूट मण्डल, बांदा में वर्ष 2014 से 2018 के मध्य कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री का आदेश दिनांक 06-09-2023 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव में रिक्त पदों के सम्बन्ध में

सदस्य	प्रश्न	मंत्री
श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 8	*8-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव में वित्त एवं लेखाधिकारी तथा लेखाकार के पद कब से रिक्त हैं ? (ख) उक्त रिक्त पदों पर जनहित में तैनाती कब तक करा दी जायेगी ?	वित्त मंत्री

धान क्रय केन्द्रों के निर्धारण हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

सदस्य	प्रश्न	मंत्री
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 9	*9-(क) क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि धान क्रय केन्द्र के निर्धारण हेतु शासन/सहकारिता विभाग द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या ? (ग) क्या उक्त नीति का अनुपालन जनपद-सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी/संयुक्त आयुक्त/संयुक्त निबन्धक सहकारिता बस्ती मडण्ल द्वारा किया गया है ? (घ) जनपद-सिद्धार्थनगर में धान क्रय केन्द्र हेतु सहकारिता विभाग ने किन-किन संस्थाओं को वरीयता क्रम में रखा है ? (ङ) यदि हाँ, तो उसका अनुपालन वर्ष 2023 एवं 2024 में धान क्रय में किया गया है ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ? (छ) केन्द्र प्रभारियों के निर्धारण हेतु अनुबन्ध का विज्ञापन किन-किन समाचार-पत्रों में निविदा आमंत्रित की गयी है तथा कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? (ज) क्या उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 10	*10-[राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में न होने के कारण निरस्त]	

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में वर्ष 2023-24 में ऊर्जा विभाग द्वारा आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

सदस्य	प्रश्न	मंत्री
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 11	*11-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि नगर निगम योजनान्तर्गत 271.71 करोड़ रुपया का आवंटन ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री

को दिनांक 29 अप्रैल, 2024 को वर्ष 2023-24 में किया गया था ?

(ख) यदि हाँ, तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्र में कौन-कौन से नगर निगम आते हैं तथा उन्हें कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ?

(ग) क्या आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग कर लिया गया है ?

(घ) यदि हाँ, तो गुणवत्ता की जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

डा0 आकाश अग्रवाल 12 — *12-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री आशुतोष सिन्हा 13 — *13-[अन्तरित]

हनीमैन चौराहा गोमतीनगर, लखनऊ में हनीमैन चौराहे के 1 किमी0 के दायरे में हास्पिटलों द्वारा विराज खण्ड-1 में अनाधिकृत रूप से अधिकृत भूमि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री सन्तोष सिंह 14 — मुख्य मंत्री

*14-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि हनीमैन चौराहा गोमती नगर, लखनऊ में हनीमैन चौराहे के 1 किमी0 के दायरे में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना लखनऊ के विराज खण्ड-1 में किन-किन हास्पिटलों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है ?

(ख) क्या उन हास्पिटलों द्वारा आवंटित भूमि से अधिक भूमि अधिकृत कर दी गयी है ?

(ग) क्या उनकी जांच कराकर अनाधिकृत रूप से अधिकृत भूमि को अवमुक्त करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, क्यों ?

(च) क्या उसकी जांच कराकर जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री शाहनवाज खान 15 — *15-[राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में न होने के कारण निरस्त।]

जनपद-उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवंतनगर के बक्सर में विद्युत पावर हाउस का अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राम चन्द्र सिंह प्रधान 16

*16-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवंतनगर के बक्सर में विद्युत पावर हाउस के अधिष्ठापन हेतु वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1309, दिनांक 22/07/2023 को प्राप्त हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त चिन्हित स्थान पर पावर हाउस का अधिष्ठापन करा दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो किस तिथि को ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के समाधान के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 17

*17-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का लम्बी दूरी के नाम पर शोषण हो रहा है एक आम व्यक्ति एक घरेलू कनेक्शन के लिए एक दो लाख का एस्टीमेट का खर्चा कैसे वहन करेगा इसका कोई समाधान हुआ है तो क्या हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री

(ख) यदि नहीं हुआ है तो कब तक हो जाएगा ?

जनपद-हरदोई के ग्राम-रायपुर, परगना व तहसील-सण्डीला में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण किसानों के आम के बाग जलने की क्षतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 18

*18-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के ग्राम-रायपुर, परगना व तहसील सण्डीला में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण किसानों के आम के बाग जलने की कितनी घटनाएं वर्ष 2023, 2024 में हुयी हैं ?

ऊर्जा मंत्री

(ख) किन-किन प्रभावित किसानों के द्वारा कब-कब क्षतिपूर्ति की माँग की गयी है ?

(ग) प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की धनराशि कब प्रदान कर दी गयी है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्षतिपूर्ति समय से न प्रदान किए जाने के क्या कारण है ?

(ङ) प्रभावित किसानों को कब तक क्षतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध करायेंगे ?

अतारांकित प्रश्न

श्री अशोक अग्रवाल 1	1-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2025 जो आपको सम्बोधित जनपद-हरदोई के विकास खण्ड-माधौगंज के अन्तर्गत मजेहटा कुरसथ मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जो पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत जलिहापुर होते हुए समुखा तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण विगत 20 वर्ष पूर्व कराया गया था जो क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त हो गया है का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ? (ग) क्या मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण राजकीय चिकित्सालय व राजकीय पशु चिकित्सालय एवं राजकीय विद्यालय समुखा जाने में दर्जनों गाँवों की जनता एवं मरीजों तथा स्कूल के बच्चों आदि को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? (घ) क्या जनहित में उक्त सम्पर्क भाग का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराकर जनता को सुगम यातायात उपलब्ध करायेंगे ? (ङ) यदि हां, तो कब तक ?	मुख्य मंत्री
श्री अशोक अग्रवाल 2	2-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता जोन-8 जलकल विभाग नगर निगम, लखनऊ के पत्रांक 336/ईई-8/2024-25 दिनांक 12/12/2024 जो अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (द्वितीय) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ को सम्बोधित है जो गांधी नगर तेलीबाग लखनऊ में म0नं0 587ए/11 से म0नं0 587ए/30 तक सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ?	नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हां, तो क्या अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (द्वितीय) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के द्वारा गाँधी नगर तेलीबाग लखनऊ में म0नं0 587ए/11 से म0नं0 587ए/30 तक सीवर लाइन डालने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 3	3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-220 बी0जे0पी0 यू0पी0-2024 दिनांक 02/09/2024 जो कि जनपद-बारांबकी के विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम बाबा का पुरवा से नहर का पुल होते हुए बगैचा रोड तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित था, कब प्राप्त हुआ है ? (ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? (ग) क्या पक्की सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? (घ) यदि हाँ, तो कब ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 4	4-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक संख्या 247/बी0जे0पी0यू0पी0/2024 दिनांक 17-09-2024 जो कि समराही रोड, सआदतगंज, लखनऊ में स्थित शिव मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, कब प्राप्त हुआ है ? (ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? (ग) क्या उपरोक्त कार्य करा दिया गया है ? (घ) यदि हाँ, तो कब ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 5	5-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र, पत्रांक संख्या 197/बी0जे0पी0यू0पी0/2024 दिनांक 22-08-2024 जो कि जनपद लखनऊ के शारदा नगर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सैनिक नगर गली नं0-12 बी में विगेन्द्र सिंह के घर से जनकल्याणेश्वर मंदिर होते हुए माता बदन पाल के घर तक सड़क मरम्मत एवं साइड पर इंटरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, प्राप्त हुआ है ?	नगर विकास मंत्री

(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?

(ग) उपरोक्त सड़क का मरम्मत कार्य कब कराया गया है ?

(घ) यदि नहीं तो क्यों ?

(ङ) क्या उपरोक्त सड़क का मरम्मत एवं साइड पर इंटरलॉकिंग का कार्य करायेंगे ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरण पाल कश्यप
6

6-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि शगुन बिहार कालोनी (शहीद भगत सिंह वार्ड) निकट पावर हाउस, अमराई गाँव, जोन-7 इंदिरानगर लखनऊ में रामस्वरूप यादव के मकान से बी0एन0 सिंह के मकान तक लगभग 50 मीटर आर0सी0सी0 रोड व नाली बनाने का आगणन, नगर आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय में लम्बित है ? — नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त रोड का निर्माण कब तक करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
7

7-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के ब्लॉक-कोथावां कस्बे में संचालित सांई हास्पिटल एण्ड मैटरनिटी सेन्टर, कोथावा-अतरौली रोड जिस भवन में संचालित है उसका विद्युत संयोजन किसके नाम से एवं कब किया गया है ? — ऊर्जा मंत्री

(ख) क्या संयोजन के प्रपत्रों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सूरत राजभर
8

8-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बताएंगे कि लखनऊ जोन-5 के अन्तर्गत गुरु नानक नगर वार्ड में मोहल्ला नया सरदारी खेड़ा, निकट जीत कुमार अरोड़ा के मकान के पास म0नं0 551छ/32 से म0नं0 551छ/40 के बीच में लगा खम्भा काफी टेढ़ा तथा गिरने की स्थिति में होने के कारण उसके तार काफी नीचे घरों की छतों के ऊपर लटके हुये हैं ? — ऊर्जा मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त जर्जर लगे खम्भों को हटवाकर नया खम्भा लगवायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 9	9-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक संख्या 223/बी0जे0पी0यू0पी0/2023 दिनांक 21-08-2023 जो कि समराही रोड, सआदतगंज, लखनऊ में नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को प्रेषित था, कब प्राप्त हुआ ? (ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? (ग) क्या सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य करा दिया गया है ? (घ) यदि हाँ, तो कब ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री अशोक अग्रवाल 10	10-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]	
श्री अशोक अग्रवाल 11	11-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि मामा चौराहा सेक्टर-9 वृन्दावन योजना, लखनऊ से सेक्टर-10 पुलिस चौकी तक सड़क के दोनो तरफ कुल कितने भवन स्वामियों/व्यक्तियों द्वारा सर्विस लेन पर अतिक्रमण किया गया है, उनके नाम क्या हैं ? (ख) क्या नगर निगम लखनऊ द्वारा उक्त सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने की कार्य योजना तैयार की गई है ? (ग) यदि हाँ, तो उक्त सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराने व निर्माण कार्य पर कुल कितने रुपये व्यय भार आने की सम्भावना है ? (घ) क्या उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु धनराशि आवंटित कर दी गयी है ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री अशोक अग्रवाल 12	12-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रायबरेली के पत्र सं0 2035/1ए दिनांक 24/12/2010 के द्वारा निर्मित नहर की पटरी से गरीब खेडा सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण किस वित्तीय वर्ष में कराया	मुख्य मंत्री

गया था तथा अगले किस वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है ?

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2024-2025 में उक्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कार्य व डामरीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक अग्रवाल 13

13-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री पवन कुमार सिंह 14 — मुख्य मंत्री

14-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला अन्तर्गत श्री श्री 1008 बाबा रामबक्शदास बाला जी मंदिर से सीतापुर बार्डर तक 1000 मी0 सम्पर्क मार्ग संकरा होने के कारण लाखों श्रद्धालुओं को प्रायः जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क का चौड़ीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 15 — ऊर्जा मंत्री

15-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद में मोहल्ला सहजानी नहर कालोनी होते हुए बस्ती के ऊपर से 33000 किलोवाट की लाईनें निकली हुई हैं, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त लाईन शिफ्ट करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 16 — नगर विकास मंत्री

16-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के जोन-5 में उ0प्र0 जल निगम द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत बाबू कुंज बिहारी लाल वार्ड, गीतापल्ली वार्ड में सीवर लाइन डालने का कार्य किस कम्पनी द्वारा किया जा रहा है ?

(ख) उक्त कार्य हेतु अनुबन्ध के अनुसार कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं उसके पूर्ण होने की अवधि क्या निश्चित की गयी है ?

(ग) अनुबन्ध के अनुरूप तय समय-सीमा के अन्तर्गत कितना कार्य पूर्ण किया गया तथा कितना कार्य अवशेष है और कब तक कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा ?

(घ) निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने पर कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 17	17-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि वादरखेड़ा, सलेमपुर पतौरा, तहसील सदर, जनपद-लखनऊ जो कि नगर निगम के अन्तर्गत है के निवासियों को शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिलाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2024 जो कि विशेष सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो पत्र में इंगित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्रदान करा दिया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त पत्र में इंगित सभी व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्रदान करा दिया जायेगा ?	नगर विकास मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 18	18-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ के मण्डलों के अन्तर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2024 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक कितने ग्राम सभाओं में नया विद्युतीकरण किया गया है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 19	19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा में बलरामपुर रोड पर पंडरी कृपाल गांव के पास हरी ओम धर्मकांटा के बगल से सनपुरवा होते हुए उतरौला मार्ग को जोड़ने वाली सड़क बरसात में जलभराव की वजह से पूरी तरह जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसको तत्काल बनाया जाना समीचीन होगा ? (ख) क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक उक्त मार्ग को शीघ्र बनवाये जाने हेतु जिलाधिकारी गोण्डा को भी क्षेत्रीय जनता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ?	मुख्य मंत्री

(ग) उक्त का सम्पूर्ण विवरण रखते हुए कब तक उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मतीकरण करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 20	20-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-322 व 323 बीजेपी यूपी-2024, दिनांक 28/11/2024 जो प्रमुख सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन, लखनऊ, निदेशक, डूडा उ0प्र0 लखनऊ तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को मकान नं0-86/21, तथा 96/13, सेक्टर-एच बसंत कुंज (बीएसयूपी) दुबग्गा, लखनऊ को अराजक तत्वों द्वारा कब्जा मुक्त करके प्रार्थीगणों को कब्जा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था कब प्राप्त हुआ है ? (ख) क्या म0नं0-86/21 व 96/13 से अराजक तत्वों से अवैध कब्जा हटवाया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या अराजक तत्वों का कब्जा हटवाने की कार्यवाही करायेंगे ? (ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?	नगर विकास मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 21	21-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-246 बीजेपी यूपी-2024, दिनांक 17/09/2024 आपको तथा प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ को 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र भिलवल, जनपद बाराबंकी में क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, कब प्राप्त हुआ है ? (ख) क्या 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र भिलवल, बाराबंकी की क्षमता वृद्धि करा दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 22	22-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के सेक्टर-2 वृन्दावन कालोनी के सी-31 के सामने लगे दो खम्भों में एल0ई0डी0 लाइट खराब होने के कारण वह इलाका अंधेरे में डूबा रहता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु खम्भों पर नई एल0ई0डी0 लाइटें लगाई जायेंगी ?	नगर विकास मंत्री

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 23 — 23-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि आई0जी0 आर0एस0 संख्या-40015624058418 पर शिकायत शिकायतकर्ताओं ने जिला-उन्नाव, ब्लाक-बीघापुर के एन0एच0-31 से इन्देमऊ हाल्ट रेलवे स्टेशन मार्ग पर एल0टी0 लाइन न होने की स्थिति में विद्युत खम्भों को तार सहित लगवाने का अनुरोध किया था ? — ऊर्जा मंत्री

(ख) क्या अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रेषित आख्या में उक्त विद्युत लाइन को बनवाने के लिये बिजनेस प्लान 2024-2025 में प्राक्कलन प्रेषित कर दिया था ?

(ग) यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है ?

(घ) जनहित में उक्त विद्युत लाइन कब तक बना दी जायेगी ?

श्री पवन कुमार सिंह 24 — 24-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-पहला की ग्राम पंचायत-मरहमत नगर अन्तर्गत श्री श्री 1008 बाबा राम बक्शदास बाला जी मन्दिर परिसर में विद्युतीकरण न होने से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? — ऊर्जा मंत्री

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मन्दिर परिसर में विद्युतीकरण का कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 25 — 25-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-पहला की ग्राम पंचायत मरहमत नगर अन्तर्गत श्री श्री 1008 बाबा राम बक्शदास बाला जी मन्दिर से सीतापुर वार्ड तक की दूरी 01 किमी0 का मार्ग क्षतिग्रस्त व सकरा होने से भारी वाहनों के आवागमन पर मन्दिर के गेट तक प्रायः जाम लगा रहता है ? — मुख्य मंत्री

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का डामरीकरण व चौड़ीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 26	26-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-बाराबंकी, विकास खण्ड-फतेहपुर के महमूदाबाद-लखनऊ मार्ग पर नहर कोठी से जनपद सीतापुर के बार्डर तक दूरी 03 किमी0 तक मार्ग क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त मार्ग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 27	27-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि सरोजनीनगर सैनिक को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सरोजनीनगर, लखनऊ को नगर निगम लखनऊ में कब नोटीफाइड किया गया ? (ख) उक्त सोसाइटी में नगर निगम द्वारा कब-कब विकास कार्य कराये गये, का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) नगर विकास द्वारा यदि उक्त सोसाइटी को नोटीफाइड नहीं किया गया है तो सोसाइटी के निवासियों को गृह कर का नोटिस भेजने का क्या औचित्य है ? (घ) अवैध ढंग से गृह कर का नोटिस अध्यासियों को भेजने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?	नगर विकास मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 28	28-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-मिश्रिख में सहादत नगर से खलीलाबाद गनेसपुर होते हुये टिकरा सम्पर्क मार्ग तक लगभग 540 मी0 का रास्ता अत्यन्त खराब है ? (ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 29	29-[अन्तरित]	

श्री पवन कुमार सिंह 30	30-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मरहमत नगर में आजाद नगर कालोनी में विद्युतीकरण न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु विद्युतीकरण का कार्य करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 31	31-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-पहला की ग्राम पंचायत मरहमत नगर अन्तर्गत मरहमत नगर पुरवा में विद्युतीकरण न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु विद्युतीकरण का कार्य करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 32	32-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि शहीदों के परिवार वालों का मृत्यु प्रमाण-पत्र समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये तत्काल निर्गत किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 04 फरवरी, 2025 जो कि मुख्य मंत्री उ0प्र0 को सम्बोधित था प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हां, तो उक्त पत्र में किये गये अनुरोधानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है ? (ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त पत्र में इंगित शहीदों के परिवार वालों का मृत्यु प्रमाण-पत्र समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये निर्गत करा दिया जायेगा ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 33	33-(क) क्या वन मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक वन विभाग में जनपद स्तर पर सेवानिवृत्ति के बाद वन अधिकारियों/कार्मिकों के कितने पद रिक्त हैं ? (ख) रिक्त पदों पर वन अधिकारियों/कार्मिकों की तैनाती प्रस्तावित है, रिक्त पदों पर तैनाती न किये जाने के क्या कारण हैं ?	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री

	(ग) उक्त पदों पर कब तक तैनाती करा दी जायेगी ?	
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 34	34-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि विधान परिषद् के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम सोमवार के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-26 के उत्तर में कहा गया था कि जनपद लखनऊ में जे0बी0 गार्डन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा, पारा में सुशीला शुक्ला के मकान संख्या-545के0ए0/पी0जी0-के0एन0-1202 से राजेश कुमार गौतम के मकान तक लगभग 50 मी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स से निर्मित क्षतिग्रस्त सड़क के अनुरक्षण हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है ?	नगर विकास मंत्री
	(ख) क्या उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करा दी गयी है ?	
	(ग) यदि नहीं, तो उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराकर सदन को अवगत करायेंगे ?	
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री आशुतोष सिन्हा 35	35-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि भवन सं0-एम0एल0 97, एम0एल0, 98 व भवन सं0-एम0एल0 91 स्थित अशोक विहार कालोनी पहाड़िया के अन्तर्गत वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण कार्य कराया गया है ?	मुख्य मंत्री
	(ख) यदि हां तो नियम विरुद्ध निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु कौन-कौन कार्मिक जिम्मेदार हैं और नियम के विरुद्ध निर्माण कार्य के कराने वालों पर क्या कार्यवाही करायेंगे ?	
	(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 36	36-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के दुबग्गा के फरीदीपुर नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले वार्ड न्यू फरीदीपुर में गली नं0-12 कालोनी की सड़क अभी तक कच्ची है, जिसके कारण वहां जलभराव की समस्या बनी रहती है ?	नगर विकास मंत्री
	(ख) क्या उक्त वार्ड में नाली एवं सीवर की समस्या है ?	
	(ग) क्या जनहित में उक्त समस्याओं का निदान करायेंगे ?	

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 37 — नगर विकास मंत्री

37-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के नगर निगम जोन-5 में उ0प्र0 जल निगम द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत बाबू कुंज बिहारी लाल वार्ड, गीतापल्ली वार्ड में सीवर लाइन डालने के पश्चात् क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है ?

(ख) बाबू कुंज बिहारी लाल वार्ड के कैलाशपुरी मोहल्ले में सुमन्त सिंह नेगी के मकान से ओमकार सिंह के मकान होते हुये गली नम्बर-4 तक सीवर पाइप लाइन के लिये खोदी गयी/क्षतिग्रस्त सड़क के कारण अध्यासियों को आवागमन में कठिनाई के दृष्टिगत सड़क का निर्माण पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

(ग) जनहित में कब तक उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम-शुक्लपुर में कल्याण का पुरवा रोड से बाबा बल्देव दास कुटी तक सड़क की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-शुक्लपुर, विकास खण्ड-हैदरगढ, जिला बाराबंकी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-शुक्लपुर में कल्याण का पुरवा रोड से बाबा बल्देव दास कुटी तक सड़क पूर्णरूप जर्जर अवस्था में होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम-टिकराहुवां में चौबसी रोड (अहिबरन का पुरवा) से बूढ़ीमेर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-टिकराहुवां, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जिला बाराबंकी के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-टिकराहुवां में चौबसी रोड (अहिबरन का पुरवा) से बूढ़ीमेर तक सड़क बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण निवासियों को रोड पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उक्त रोड पर कई दुघटनाओं की आशंका बनी रहती है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त रोड का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-भुता, ग्राम-पंचायत चठिया फैजू में ग्राम-घुलूपुरा दशवां स्थल से होते हुये विधार्थी पार्थ डिग्री कॉलेज तक लगभग 500 मीटर खण्ड़जा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-चठिया फैजू, विकास खण्ड-भुता, जिला-बरेली के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-चठिया फैजू में ग्राम-घुलूपुरा दशवां स्थल से होते हुये विधार्थी पार्थ डिग्री कॉलेज तक लगभग 900 मीटर मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उक्त मार्ग पर कई दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर खण्ड़जा मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
09 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-दमखोदा, ग्राम-पचुआ (जमुनिया) से ब्रहम्देव धार्मिक स्थल से होली चौराहा तक लगभग 250 मीटर सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-पचुआ जमनिया, विकास खण्ड-दमखोदा, जिला बरेली के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-पचुआ जमुनिया में सी0सी0 रोड का निर्माण पचुआ जमनिया से ब्रहम्देव धार्मिक स्थल से होली चौराहा तक होना है। जिसकी लम्बाई लगभग 250 मीटर है उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गाँव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिसवां, ग्राम पंचायत-लालपुर के मजरा पैगरवा मोड़ से सियाराम के घर तक लगभग 200 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-चन्द्रा, विकास खण्ड-बिसवां, जिला-सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-लालपुर में एक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण लालपुर के मजरा पैगरवा मोड़ से सियाराम के घर तक होना है। जिसकी लम्बाई लगभग 200 मी0 है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी ‘ज’

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	सर्वश्री लाल बिहारी यादव, किरण पाल कश्यप, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, डा0 मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, आशुतोष सिन्हा, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- “किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित पर चर्चा नहीं की है :- 1-प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किये जाने तथा हत्या, अपहरण, डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-कुम्भ में मारे गये लोगों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में जातिगत जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में दलित, शोषित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में, 6-बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने व विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा बढ़ी हुई विद्युत दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में, 7-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधाएं

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

12-क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में

13-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

14-पूर्ववर्ती सरकार की भाँति जिनके पास रहने को मकान नहीं है, उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,

15-व्यापारियों को सेवा एवं माल कर से उत्पन्न परेशानी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

16-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमीलेयर आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में धान एवं गेहूँ खरीद में हो रही अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

18-सरकार द्वारा नये धान, गेहूँ खरीद केन्द्र खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,

19-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर अराजकता का माहौल पैदा करने एवं धन की अवैध वसूली पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

20-शिक्षा का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश की अनियंत्रित यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए चुस्त दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गड्ढा मुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

23-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब लगभग 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

24-अल्पसंख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृत्ति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		अभाव एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में,

26-किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन रोके जाने के सम्बन्ध में,

29-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

30-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

31-प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोके जाने के सम्बन्ध में,

32-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है,

34-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति और बुनकरों को किसानों की भाँति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

36-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

37-छात्र-छात्राओं के लिए लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

38-दिव्यांगों को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

39-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		41-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में, 42-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में, 43-प्रदेश के बेरोजगारों, युवाओं को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, 44-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखाकर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में, 45-प्रदेश में बिक रही नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में, 46-मत्स्य पालन हेतु अनाधिकृत रूप से कब्जा हुए तालाबों से अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 47-पिछले वर्ष विधान मण्डल द्वारा सपारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में, 48-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में, 49-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में, 50-बी0पी0एल0 कार्डधारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 51-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में 52-किसानों को पराली (धान-गन्ना) जलाये जाने पर उत्पीड़न के सम्बन्ध में, तथा 53-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में।"
2	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में पूर्व की भाँति सेवा शर्तों में धारा-12, धारा-18, धारा-21 को प्रभावी किया जाना, 2-प्रदेश की स्व-पोषित (वित्त विहीन) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में सेवाशर्तों से आच्छादित किया जाना तथा प्रचलित पूर्ण वेतन का भुगतान जो समान कार्य के लिये समान वेतन के

क्रम संख्या | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का प्रस्ताव

सिद्धान्त पर आधारित है,

3-विज्ञापन के आधार पर विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना,

4-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों का कोरोना अवधि में रोकी गई मंहगाई भत्ते की किश्तें तथा भत्तों को वापस अभी तक न दिया जाना,

5-वित्त विहीन विद्यालयों में अध्ययनरत 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान किया जाय,

6-व्यवसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाय,

7-माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0ग्रेड के शिक्षकों को सहायक प्रवक्ता पद दिया जाय,

8-गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु हाई स्कूल में भी इण्टर कक्षाओं की तरह प्रयोगात्मक परीक्षा कराया जाय,

9-सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना,

10-विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिनियम, 2016 की धारा-8 को विलुप्त किया जाय,

11-वर्ष 2000 के पूर्ण शेष बचे तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करते हुये पेंशन की सुविधा अनुमन्य की जाये,

12-वर्ष 2000 से अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाना,

13-प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षक और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मान्य करना,

14-प्रदेश में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशव्यापी संघर्ष चल रहा है। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट जारी करके खुलासा किया गया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार की अनदेखी किया जाना,

15- 01 अप्रैल, 2005 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य किया जाना अर्थात् पुरानी पेंशन की बहाली,

16-गुणवत्तापरक शिक्षा के हित में कम्प्यूटर शिक्षक तथा व्यावसायिक

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

शिक्षकों के पद सृजित किया जाना तथा उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक के समान कार्य के लिये समान वेतन अनुमन्य किया जाना,

17-महिला विद्यालयों में प्रबन्धकों के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और विद्यालय समय में प्रबन्धक का प्रवेश और उनके निरीक्षण की रोक की व्यवस्था सुनिश्चित करना,

18-छात्र-छात्राओं के लिये लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

19-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

20-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में माननीय सदन के सभी सदस्यों का प्रस्ताव न लिये जाने के सम्बन्ध में,

21-अलीगढ़ मण्डल, चित्रकूट मण्डल, देवीपाटन मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा उप शिक्षा निदेशक के पद को सृजित किया जाना,

22-प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजनैतिक प्रभावों के कारण महिलाओं के उत्पीड़न और जनसाधारण के प्रति अन्याय के प्रतिदिन होने वाले प्रकरणों की चर्चा,

23-प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना, बी0एल0ओ0 और निर्वाचन कार्य में लगाने के परिणाम स्वरूप निर्धारित दिवसों अथवा निर्धारित घण्टे का अध्यापन कार्य पूर्ण न होने के कारण छात्रों को अपूर्णनीय क्षति के कारण ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाना,

24-राजकीय विद्यालयों में पदोन्नति का बाधित होना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति,

25-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना,

26-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

27-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

28-चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने और वेतन पाने में भारी भ्रष्टाचार और घूस पर नियन्त्रण न होना,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		29–सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानान्तरण नीति की सरल व्यवस्था प्रस्तावित किया जाना तथा महिला शिक्षकों को स्थानान्तरण में विशेष सुविधा प्रदान किया जाना, 30–नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के खाते में पूरे सेवाकाल का राज्यांश जमा किया जाना, 31–करोना अवधि में मृतक शिक्षकों के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर सेवायोजन किया जाना तथा ऐसे शिक्षक परिवारों को ग्रेच्युटी की सुविधा भी प्रदान किया जाना, 32–सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य सुविधायें प्रदान किया जाना , 33–सहायता प्राप्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थगित व्यवस्था को समाप्त कर नियुक्ति सुनिश्चित करना तथा शिक्षण संस्थाओं में आउटसोर्सिंग की दूषित प्रणाली समाप्त किया जाना, के सम्बन्ध में, 34–प्रदेश में विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में, 35–सभी प्रकार के विद्यालयों में निर्बल आय वर्ग मे छात्रों को पुस्तकों आदि की व्यवस्था सुलभ करने हेतु अनुदान अथवा छात्रवृत्ति स्वीकार करने के सम्बन्ध में, 36–बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा 37–सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना।”
3	श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल	1–प्रदेश की स्व-पोषित (वित्तविहीन) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में सेवा शर्तों से आच्छादित किया जाना तथा प्रचलित पूर्ण वेतन का भुगतान जो समान कार्य के लिये समान वेतन के दिया जाना चाहिए, 2–विज्ञान के आधार पर विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाये, 3–व्यावसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाना चाहिए, 4–शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में पूर्व की भाँति सेवा शर्तों को प्रभावी किया जाना चाहिए,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

5-वर्ष 2000 से अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जाये,

6-प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भाँति चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किया जाये,

7-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

8-चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराना और वेतन पाने में उत्पन्न भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में माननीय सदन के सभी सदस्यों का प्रस्ताव सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये,

11-प्रदेश के समस्त मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

12-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्थानान्तरण, नियुक्ति की सरल व्यवस्था प्रस्तावित की जाये तथा महिला शिक्षकों को स्थानान्तरण में विशेष सुविधा प्रदान की जाये,

13-सभी स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाये,

14-सभी प्रकार के विद्यालयों में निर्वल आय वर्ग के छात्रों को भी निःशुल्क पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाये,

15-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की योग्यता (कक्षा-8) केवल साक्षर होना चाहिए तथा इण्टरमीडिएट की योग्यता को समाप्त किया जाये,

16-नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के खाते में पूरे सेवाकाल का राज्यांश जमा किया जाये,

17-वर्ष 2000 के पूर्व शेष बचे तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करते हुए पेंशन की सुविधा अनुमन्य किया जाये,

18-छात्र/छात्राओं के लिये लैपटाप योजना को पुनः चालू किया जाये,

19-प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		शिक्षकों को जनगणना, बी0एल0ओ0 और निर्वाचन कार्य में लगाने के परिणामस्वरूप निर्धारित दिवसों अथवा निर्धारित घण्टे का अध्यापन कार्य पूर्ण न होने के कारण छात्र/छात्राओं को अपूर्णनीय क्षति के कारण ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाये, तथा 20-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किया जाये।''

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।